संं0सं0–5 बजट (1) 20/2022/ 52 रा0 (वि0)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 25/03/23

विषय– **वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य योजनान्तर्गत तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय में कुल मो0 394.75456 लाख (तीन करोड़ चौरानबे लाख पचहत्तर हजार चार सौ छप्पन) रुपये मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य योजना में माँग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के तहत् "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" अंतर्गत कुल मो0 394.75456 लाख (तीन करोड़ चौरानबे लाख पचहत्तर हजार चार सौ छप्पन) रुपये मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के अधीन निम्न रुप से दी जाती है –

कम	प्रस्तावित निर्माण कार्य	प्राक्कलित राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	स्थापना/ जिला
(क)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन			
1	नूरा मत्स्य प्रक्षेत्र के पूर्वी भाग पर गार्डवाल का निर्माण	24,73,900/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक 855/अनु0 दिनांक 23.07.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	हजारीबाग
2	मत्स्य प्रक्षेत्र में पेवर ब्लॉक फुटपाथ का निर्माण	24,90,600/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक 932/अनु0 दिनांक 17.08.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
3	जिला मत्स्य कार्यालय एवं झील प्रक्षेत्र में सुरक्षा लाईट का कार्य	19,97,349/–	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, राँची के पत्रांक 4867 दिनांक 29.12.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
4	चन्दवारा प्रखण्ड स्थित उरवाँ के फिश फीड मिल परिसर में डीप बोरिंग कार्य	2,60,700/–	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, कोडरमा द्वारा दिनांक 03.08.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	कोडरमा
5	जिला मत्स्य कार्यालय के आउटर साईड का चाहरदीवारी निर्माण एवं बिजली का कार्य।	20,07,000/–	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, डालटनगंज द्वारा दिनांक 13.09.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	पलामू

Scanned by CamScanner

6	जिला मत्स्य कार्यालय के प्रथम तल एडमीनिस्ट्रेटिव भवन निर्माण कार्य	24,97,300/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, बोकारो के पत्रांक 1025 (अनु0) दिनांक 16.11.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	बोकारो
7	जिला मत्स्य कार्यालय में एक डीप बोरिंग कार्य	3,51,900/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, धनबाद के पत्रांक 25 अनु0 दिनांक 04.01.2023 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	धनबाद
8	जिला मत्स्य कार्यालय परिसर में डीप बोरिंग कार्य	2,02,500/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, देवघर द्वारा दिनांक 23.07.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	देवघर
9	बारकोप मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्य	59,99,200/-	अधीक्षण अभियंता, भवन प्रमण्डल, दुमका द्वारा दिनांक 07.08.2018 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	गोड्डा
	उप योगः	**1,82,80,449/-**		
(ख)	**लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना**			
1	जिला मत्स्य कार्यालय प्रक्षेत्र एवं कार्यालय भवन में Security light एवं Path Light का विद्युतिकरण कार्य	23,28,208/-	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, राँची के पत्रांक 488 दिनांक 30.01.2023 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	खूंटी
2	जिला मत्स्य कार्यालय प्रक्षेत्र, सिमडेगा में Security light एवं High mast Light का विद्युतिकरण कार्य	36,76,299/-	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, राँची द्वारा दिनांक 18.01.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	सिमडेगा
3	जिला मत्स्य कार्यालय प्रक्षेत्र करनडीह में Security light, garden light, flood light, main panel and SITC of 3 nos. 16 mtr सहित हाईमास्ट लाईट में 12 एल0ई0डी0 बल्ब लगाने संबंधी विद्युतिकरण कार्य	33,32,217/-	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, राँची द्वारा दिनांक 18.01.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	जमशेदपुर
4	जिला मत्स्य कार्यालय के मुख्य सड़क से कार्यालय भवन तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	24,95,800/-	कार्यपालक अभियंता, एन0 आर0 ई0 पी0, साहेबगंज द्वारा दिनांक 21.12.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	साहेबगंज
5	मत्स्य प्रक्षेत्र साहेबगंज चाहरदीवारी निर्माण कार्य एवं कंटीला तार से घेराबंदी कार्य।	24,93,000/-		
6	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची में 1.5 TR के 20 split type room air conditioners	17,03,179/-	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, राँची द्वारा दिनांक 15.12.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	म0 कि0 प्रशि0 केन्द्र, राँची
7	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची में 500 KVA Transformer के साथ HT & LT Cable, Provision of Feeder pannel, Cubical panel for transformer, Incomer & outgoing pannel तथा केबलिंग कार्य।	51,66,304/-		
	उप योगः	**2,11,95,007/-**		
	कुल योगः	**3,94,75,456/-**		

Scanned by CamScanner

3. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है:

मॉग सं0–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–4405–मछली–पालन पर पूँजीगत् परिव्यय (राशि लाख रू0 में)

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	संशोधित बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53S44050010172010545	200.00	185.00	182.80449	2.19551
2	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53S44050079672010545	470.00	215.00	211.95007	3.04993
	कुल योग :	**670.00**	**400.00**	**394.75456**	**5.24544**

मो0 394.75456 लाख (तीन करोड़ चौरानबे लाख पचहत्तर हजार चार सौ छप्पन) रू0 मात्र।

4. चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना अंतर्गत उपबंधित राशि के अधीन ही उपरोक्त अंकित कंडिका '2' के लिए राशि का व्यय लोक निर्माण विभाग, संहिता में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा।

5. कंडिका '2' (क) के क्रमांक '9' में अंकित कार्य बारकोप मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का जीर्णोद्धार कार्य की सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति पूर्व के अनुसूची दर पर है। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा वर्तमान अनुसूची दर पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी एवं अंतर राशि हेतु प्रस्ताव मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस हेतु समुचित बजट उपबंध एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

6. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग/पलामू/बोकारो/धनबाद/देवघर/गोड्डा/जमशेदपुर तथा साहेबगंज एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, कोडरमा/खूंटी/सिमडेगा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

कंडिका '2' के क्रम सं०–(क)–3 एवं क्रम सं०–(ख)–1,2,3,6 एवं 7 में उल्लेखित कार्य हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, राँची को पुस्त हस्तांतरण/डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

7. इस योजनान्तर्गत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक– 1800/वि० दिनांक – 15.07.2003 एवं पत्रांक – 533/वि० दिनांक– 03.03.2004 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

8. निर्माण/विद्युत कार्य हेतु प्रयोग में लाए जा रहे सामग्रियों एवं निर्माण/विद्युत कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कराकर प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग/विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा सम्बंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण कार्य से संतुष्ट होने के उपरांत ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

9. स्वीकृत सभी योजनाओं को इस स्वीकृत्यादेश के निर्गत होने की तिथि से छः माह की अवधि के अंदर पूर्ण किया जायेगा।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं/विद्युत कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरुप कराने के साथ–साथ स्वीकृत कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे तथा निर्माण कार्यों का जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यों की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे।

11. यह एक चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

12. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

13. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0 –01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

16. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 3700.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 3635.62 लाख रु0 – मुख्य शीर्ष–2405 एवं 4405 सहित) मात्र में से मो0 3392.32 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

19. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

20. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 52 (T) (वि0)/रॉची, दिनांक 25/03/23

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 52 (T) (वि0)/रॉची, दिनांक 25/03/23

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना–सह–विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner